न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 10/2017
दायर दिनांक :– 07/06/2017
निर्णय दिनांक :– 27/09/2019

अनवान

ग्राम पंचायत कुरज जरिये ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत कुरज पंचायत समिति रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

निगराकार/प्रार्थी

बनाम

1. श्री गणेशलाल पिता रोडा जी सालवी आयु वयस्क निवासी कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षी/गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 पट्टा संख्या 310 दिनांक 08.12.2009 के विरूद्ध निगरानी

उपस्थित :–

1–श्री मनीष जोशी, अधिवक्ता निगराकार
2–श्री मुरलीधर दशोरा ,अधिवक्ता ,गैर निगराकार

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में निवेदन किया हैं कि ग्राम कुरज तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में वर्ष 2009 को आराजी नम्बर 3070 में तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ने ग्राम पंचायत कुरज की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि को अपने मिलने वाले व अन्य लोगो से मिलीभगत करते हुये अवैधानिक रूप से नाम मात्र कीमत पर रियायती पटटे एवं भूमि को मिलीभगत कर गलत तरीके से पटटे जारी कर दिये गये। विपक्षीगण को आक्षेपित **पटटा संख्या 310 दिनांक 08.12.2009** को रियायती दर के आधार पर विपक्षी को दिया गया वह गलत दिया । विपक्षीगण रियायती दर से पटटा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। आक्षेपित पटटे के भूखण्ड का क्षैत्रफल 1170 वर्गफीट है। जिसकी मार्केट वेल्यू 100/–रूपये प्रतिवर्ग फीट के अनुसार 1,17,000/–रूपये हैं । विपक्षीगण ने तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत से अपने मिलने वालों से मिलीभगत कर गलतरूप से पटटा प्राप्त किया है। ग्राम पंचायत का अभिलेख देखने पर उक्त पटटो के सम्बन्धि कोई पत्रावली ग्राम पंचायत के अभिलेखों में नही है न ही पत्रावलीयों का चार्ज ग्राम पंचायत को तत्कालिन सचिव ने ग्राम पंचायत को सिपूर्द किया है। आराजी नम्बर 3070 में अवैध रूप से पटटे जारी होने के सम्बन्ध में जिला जन अभाव अभियोंग निराकरण एवं सर्तकता

समिति में आवेदन प्रस्तुत हुआ। जिसमें सार्वजनिक आरक्षित भूमि में अवैध पटटे जारी होने का निर्णय हुआ तथा जिसकी पालना में ग्राम पंचायत को उक्त पटटों के सम्बन्ध में निगरानी प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी रियायती दर से पटटा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पटटे जारी करने के सम्बन्ध में कोई पत्रावली एवं अन्य कोई कार्यवाही नही की गई केवल मात्र नाजायज लाभ प्राप्त करने एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि को हडपने के लिए अवैध एवं अनुचित पटटे जारी किये गये है। आक्षेपित पटटे जारी करने में पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों की पालना नही की गई है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी को जारी **पटटा संख्या 310 दिनांक 08.12.2009** निरस्त फरमाये जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित किया गया एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता निगराकार की बहस सुनी गई । अधिवक्ता निगराकार द्वारा बहस में प्रस्तुत निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को ही दौहराते हुये निवेदन किया कि राजस्व ग्राम कुरज तहसील रेलमगरा की आराजी संख्या 3070 भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि है उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित की गई है। वर्ष 2009 में तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत कुरज ने गलत रूप से विधि विरूद्ध तरीके से उक्त आराजी संख्या 3070 जो प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि थी उसे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि बता विपक्षीगण एवं अन्य लोगों को रियायती एवं निलामी करना बता पट्टे जारी कर दिये जबकि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि को रियायती दर से एवं निलामी से पट्टे जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही था जो पट्टे जारी किये वो अवैध है। आक्षेपित **पट्टा संख्या 310 दिनांक 08.12.2009** जो रियायती दर के आधार पर विपक्षी को दिया गया वह गलत दिया । विपक्षीगण को रियायती दर से पट्टा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। आक्षेपित प्रत्येक पट्टे के भूखण्ड का क्षैत्रफल 1170 वर्गफीट है जिसकी मार्केट वेल्यू 100/– रूपये प्रतिवर्ग फिट के अनुसार 1,17,000/– रूपये हैं। विपक्षीगण ने तत्कालिन सरपंच एवं सचिव , ग्राम पंचायत से अपने मिलने वालो से मिलीभगत कर गलत रूप से पटटा प्राप्त किया है। ग्राम पंचायत का अभिलेख देखने पर उक्त पट्टों से संबंधित कोई पत्रावली ग्राम पंचायत के अभिलेखों में नही है न ही पत्रावलीयों का चार्ज ग्राम पंचायत को तत्कालीन सचिव ने सूपूर्द किया है। आराजी संख्या 3070 में अवैध रूप से पट्टे जारी होने के संबंध में जिला जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति में आवेदन प्रस्तुत हुआ जिसमें सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में अवेध पट्टे जारी होने का निर्णय हुआ तथा जिसकी पालना में ग्राम पंचायत को उक्त पट्टो के सम्बन्ध में निगरानी प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया । विपक्षीगण को रियायती दर से पट्टा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में कोई पत्रावली भी एवं अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई केवल मात्र नाजायज लाभ प्राप्त करने एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि को हडपने के लिए अवैध एवं अनुचित पट्टे जारी किये गये। आक्षेपित पट्टे जारी करने में पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमों की पालना नहीं की गई। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षीगण को **पट्टा संख्या 310 दिनांक 08.12.2009** को जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता गैर निगराकार ने अपनी बहस एवं जबाब में कहा कि विपक्षीगण को मूल पट्टा तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया । जारी किया गया पटटा ग्राम पंचायत की पूर्ण कॉरम में पारित कर विपक्षीगण को बीपीएल परिवार के सदस्य होने से रियायती दर पर जारी किया गया था। गरीब परिवार एवं बीपीएल भूमिहीन मजदूर वर्ग इत्यादि को इन्द्रा आवास हेतु पट्टा जारी करने हेतू पूर्व राज्य सरकारों द्वारा पारित परिपत्रों के अनुसार पूर्ण कॉरम की

सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पट्टे इन्द्रा आवास हेतु जारी किये जा सकते हे। उसके लिए मिसल की आवश्यकता नहीं रहती है तथा पंचायत की पूरी कॉरम में प्रस्ताव सर्वसम्मति से लेकर पट्टे उक्त वर्ग के लोगों को जारी किये जा सकते है। जैसे की राज्य सरकार के परिपत्र से स्पष्ट है तथा पंचायत की निजी आय हेतु निलामी से जो पट्टे जारी किये जाते है उनकी पूर्णतः अखबारों में विज्ञप्ति निकालकर निलामी प्रक्रिया विकास अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी की व सरपंच व कॉरम की उपस्थिति में बोली लगाकर नियमानुसार अन्तिम बोली पर 25 प्रतिशत राशि जमा कर नियमानुसार मिसले कायम कर विधिवत् सक्षम अधिकारी के यहां प्रेषित कर अनुमोदन के बाद ही शेष राशि जमा कर पट्टे जारी किये जाते है। निगरानीकार को इस तथ्य की पुरी जानकारी होने के उपरान्त भी वर्तमान सरपंच के दबाव में आकर गलत निगरानी पेश की, जो काबिल निरस्त है। निगरानी कार की यह आपप्ति कि मुझ विपक्षीगण को जो पट्टा जारी किया गया है। मिसले नही बनाई गई है,जबकि मिसल बनाने का कार्य निगराकार का होता है उनके द्वारा मिसल क्यों नहीं बनाई इसका स्पष्ट कारण निगराकार ही दे सकते है। विपक्षीगण को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् पट्टा जारी हुआ तथा विपक्षी उस प्लॉट पर मकान बनाकर निवासरत है। अब अपने दोष को छुपाने की दृष्टि से निगरानीकार ने गलत तथ्यों पर निगरानी आप न्यायालय में प्रस्तुत की है जो किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नहीं है।

निगराकार ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बिना जानकारी के निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नहीं है। आराजी सं. 3070 जो कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि बता रखी है वह गलत तरिके से वर्णित कर दर्शा रखी है। आराजी संख्या 3070 रकबा 29–18 उन्नतीस विघा अठारह बिस्वा भूमि जो राजस्व रेकार्ड में राजकीय भूमि सिवाय चक कृषि अयोग्य भूमि के रूप में दर्ज रेकार्ड थी। उसमें से आराजी संख्या 3070 मीन रकबा 2–00 दो बीघा भूमि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय राजसमन्द के आदेश क्रमांक एफ.( )/राजस्व/म.प. आनि/04/3/04 दिनांक 01/06/1983 व समसंख्य परिपत्र क्रमांक 20.10.83 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.6(2)रेवेन्यु/बी/67 दिनांक 17.01.1967 के क्रम में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 में प्रदत्त प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कुरज को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने का आदेश प्रदान किया गया था। जो तहसीलदार महोदय रेलमगरा को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवाये जाने हेतु आदेश कराया गया था। जिसकी प्रति उक्त अपीलार्थी को भिजवाई गई थी तथा आदेश के साथ जो भूमि आबादी विस्तार हेतु दी गई थी उसका नक्शा ट्रेस भी सलग्न कर भिजवाया गया था उक्त आदेशानुसार तत्कालीन पटवारी हल्का ने आराजी संख्या 3070 रकबा 29–18 उन्नतीस बिघा अठारह बिस्वा भुमि में से आराजी सं. 3070/2 रकबा 2–00 दो बिघा भूमि आबादी हेतु जरिये नामान्तकरण सं 3427 से किया गया । श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय राजसमन्द के आदेश नामान्तकरण की फोटोप्रति साथ संलग्न है। उक्त आदेश होने के पश्चात वह राजस्व रेकार्ड में भूमि दर्ज होने के पश्चात् आराजी संख्या 3070 मीन रकबा 29–18 उनतीस बिघा अठारह बिस्वा भूमि में से 2–00 बिघा भूमि आबादी भूमि हेतु मौके पर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत कुरज व सचिव की मोजूदगी में दो बिघा भूमि आबादी हेतु पेमुद कर पत्थर रूपवाकर ग्राम पंचायत कुरज को सिपुर्द की। उसके पश्चात् ग्राम पंचायत कुरज के तत्कालीन सरपंच ने जो आबादी भूमि पंचायत को प्राप्त हुई उस पर दिनांक 05.06.2008 को पंचायत की पूर्ण कोरम में प्रस्ताव सं 9 नो पर उक्त भूमि पर 25 प्लॉट 26×45 फीट के साईज के नक्शा प्लान बनाकर बीपीएल गरीब परिवार, मजदूर, कारीगर भूमिहीन व्यक्तियों को देना व कुछ प्लॉट निलामी पर पंचायत की निजी आय हेतु दिये जाने का पंचायत में पूर्ण कोरम की सहमति से निर्णय लिया गया। दिनांक 29/09/2008 को पूर्व सरपंच की अध्यक्षता व समस्त वार्डपचों की उपस्थिति में प्रस्ताव सं 8आठ के अनुसार ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला-राजसमन्द

पंचायत कुरज द्वारा बनाये गये प्लान (नक्शा) अनुसार प्लॉट नम्बर 5 मुझ विपक्षी के नाम दिये जाने की पंचायत कॉरम ने स्वीकृति प्रदान की, चूंकि मै विपक्षी बीपीएल परिवार की होने से रियायती दर पर ग्राम पंचायत कुरज क्षरा उक्त प्रस्ताव पूर्ण सहमति से पारित करते हुऐ दिनांक 08/12/2009 को पटटा सं. मुझ विपक्षी को जारी किया गया तथा पट्टा जारी कर पंचायत द्वारा कब्जा सिपुर्द किया जिस पर मुझ विपक्षी के द्वारा ईन्द्रा आवास के तहत मकान निर्माण कर निवासरत हूँ। सचिव निगराकार द्वारा जो निगरानी न्यायालय आपमें प्रस्तुत की गई है वह मात्र द्वैषतावश व वर्तमान सरपंच के दबाव में निगराकार द्वारा एक सारहीन निगरानी 8 आठ वर्ष पश्चात की गई जो मियाद बाहर होने से काबिल निरस्त के है। तत्कालीन सरपंच वर्ष 2004 में आराजी सं. 3070 रकबा 29–18 उनतीस बिघा अठारह बिस्वा भूमि में से जो कि नामान्तरकरण सं. 3427 से आराजी नम्बर 3070/2 रकबा 2–00 दो बिघा भूमि माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश से आबादी विस्तार हेतु वर्ष 2004 में रेकार्ड के आदेश हुए थे उसी दौरान उक्त आराजी सं. 3070 मीन रकबा 27–18 बिघा भूमि में से 10–00 बिघा भूमि आरक्षित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रखने हेतु भी आदेश हुए थे परन्तु राजस्व अधिकारी तहसील रेलमगरा व तत्कालीन भू अभिलेख निरिक्षक एवं हल्का पटवारी कुरज द्वारा आबादी भूमि को जो कि आराजी सं. 3070 में जिस स्थान पर तत्कालीन सरपंच की उपस्थिति में मौके पर पैमूदगी कर सिपुर्द की गई तथा उसका उक्त तत्कालीन तहसीलदार व पटवारी रेवेन्यू इन्सपेक्टर द्वारा राजस्व नक्शे में सही तरमीम नही करने से निगराकार द्वारा उक्त गलत रूपेण आधार लेते हुऐ कि उक्त भूमि आरक्षित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ही बताते हुऐ उक्त निगरानी प्रस्तुत की है जो कानुन के विपरित होने से काबिल निरस्त के है। राजस्व नक्शे में तरमीम करने का कार्य राजस्व अधिकारियों का होता है। तत्कालीन पटवार हल्का, लेण्ड रेवेन्यू इन्सपेक्टर व तहसीलदार रेलमगरा ने आराजी सं. 3070/2 रकबा 2–00 दो बीघा भूमि किस्म आबादी को तो राजस्व नक्शे में सही तरमीम नही किया एवं उक्त आराजी सं. 3070 मीन में से जो भूमि 10–00 दस बीघा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित रखी गई उसे भी गलत तरमीम कर दिया। जिसका नाजायज फायदा लेते हुए उक्त गलत निगरानी आप न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो खारिज होने योग्य है। तत्कालीन ग्राम पंचायत कुरज द्वारा जिन विपक्षी को पट्टे जारी किये गये है वे बीपीएल, गरीब असहाय, विधवा, मजदुर वर्ग के है जिन्हें रियायती दर पर जो पट्टे जारी किये गये उसके संबंध में ग्राम कुरज के मुबारिक पिता फकरूदीन रंगरेज क्षरा कई बार शिकायते श्रीमान् लोकायुक्त महोदय जयपुर, मुख्यमंत्री महोदय जयपुर, राजस्थान सरकार व जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द के यहा स्वयं के नाम से एवं समस्त ग्रामवासीगण कुरज के नाम से शिकायतें की गई। उन शिकायतों के संबंध में तत्कालीन विकास अधिकारी महोदय पंचायत समिति रेलमगरा द्वारा जांच की गई जिसमें सारी शिकायतें झुठी मानते हुऐ कार्यवाही खारिज करवाने हेतु निवेदन अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी राजसमन्द को की गई। मुबारिक पिता फकरूदीन रंगरेज स्वयं बीपीएल परिवार का होकर उसकी पत्नि बतुल बेगम के नाम इन्द्रा आवास हेतु पट्टा जारी किया गया था एवं उक्त मुबारिक उक्त आबादी भूमि में ही मकान इन्द्रा आवास का बनाकर निवास कर रहा है तथा जितने भी तत्कालीन सचिव/सरपंच द्वारा आराजी सं. 3070/2 रकबा दो बीघा जो प्लान बनाकर पट्टे जारी किये गये को उन सभी पर पट्टा प्राप्तकर्ता द्वारा इन्द्राआवास के तहत मकान बनाकर निवासरत है। वर्ष 2011 में ग्रामवासीगण कुरज द्वारा सुगम के अन्तर्गत जिला कलक्टर महोदय के यहां प्रकरण दर्ज करवाया गया जिस पर तत्कालीन विकास अधिकारी महोदय पंचायत समिति रेलमगरा द्वारा अपने पत्र कमांक प.स.रे./सुगम/2011/1865 दिनांक 21.03.2011 को श्रीमान तहसीलदार रेलमगरा को निवेदन किया गया कि ग्राम कुरज पटवार हल्का कुरज की आराजी सं. 3070 में 2–00 दो बीघा आबादी भूमि की निशादेही कराने हेतु पाबन्द करावें। जिसकी एक प्रति सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कुरज को जारी की परन्तु तहसीलदार रेलमगरा द्वारा उक्त पत्र पर भी कोई कार्यवाही आज दिन

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला-राजसमन्द

तक नही की गई क्योंकि तहसीलदार रेलमगरा जो कि राजस्व रेकार्ड का अधिकारी होता है। उसके द्वारा उक्त आबादी भूमि को राजस्व नक्शे में सही तरमीम करना चाहिए था जो नही कर भारी भूल की है। जिस कारण उसके द्वारा गलत रूपेण अब टिप्पणी करते हुए श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को अवगत कराते हुए निगरानीकार द्वारा उक्त निगरानी पट्टाधारी के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो विधि विरूद्ध होने से व राजस्व अधिकारीयों की गलती के कारण निगरानीकार द्वारा वर्तमान सरपंच के दबाव के कारण विपक्षीगणों के विरूद्ध पेश की जो काबिल निरस्त के है।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । बहस पर गहन मनन किया जाकर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार रेलमगरा की जांच रिपोर्ट क्रमांक 325 दिनांक 27.07.2017 एवं क्रमांक 142 दिनांक 24.07.2019 का अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत कुरज द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में राजस्व ग्राम कुरज में दिनांक 08.12.2009 को विपक्षी **श्री गणेशलाल** को **पट्टा संख्या 310** गलतरूप से जारी किया गया है। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी अपनी जांच रिपोर्ट में आराजी नम्बर 6102/3070 को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित बताया गया है तथा आराजी नम्बर 3070 बिलानाम गैर काबिल कास्त रकबा मेंसे केवल 2 बीघा भूमि ही ग्राम पंचायत को आबादी हेतु दी गई है। जिस स्थान के पटटे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये है वह भूमि बिलानाम होकर ग्राम पंचायत की न होते हुये भी ग्राम पंचायत द्वारा पटटे अवैधानिकरूप से जारी किये गये है। ग्राम पंचायत को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि में पटटे जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस सम्बनध में पूर्व में भी ऐसा ही पटटा निरस्त किया जा चुका है। सचिव ग्राम पंचायत कुरज द्वारा दिनांक 27.06.2017 से अवगत कराया हैं कि पटटे जारी करने सम्बन्धी रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं हैं, यह एक गम्भीर अनियमितता का मामला है। इस प्रकार निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार इस निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा विपक्षी **श्री गणेशलाल को जारी किया गया पटटा संख्या 310 दिनांक 08.12.2009** को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह निगराकार को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर ग्राम पचायत की आबादी भूमि में पटटा देने सम्बन्धी नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करे। विकास अधिकारी पंचायत समिति रेलमगरा को निर्देश दिये जाते हैं कि वे तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत कुरज के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करावे।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला राजसमन्द

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द